इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक- 08.09.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते भाई की हत्या करने वाली अभियुक्ता को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास कारावास व 20,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते भाई की हत्या करने वाली अभियुक्ता को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.06.2020 को वादी जे0एन0 सिंह पुत्र स्व0 केदार सिंह निवासी सती मौहल्ला थाना कोतवाली जनपद इटावा ने थाना कोतवाली पर सूचना दी गयी कि उसकी नातिन शशी पुत्री विजय सिंह द्वारा उसके नाती दीपक (अभियुक्ता का भाई) को जान से मारने की नीयत से मोसले से सिर पर तथा हसिया से गले पर वार कर घायल कर दिया गया जिसके संबंध मे तत्काल थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 307/20 धारा 307 भादवि परिवर्तित धारा 302 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक श्री बचन सिंह सिरोही द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर **अभियुक्ता** के विरूद्ध आरोप पत्र **धारा 302 भादवि** में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम,पैरोकार का0 राम सिंह एवं मानीटरिंग सैल व जिला शासकीय अधिवक्ता श्री शिव कुमार शुक्ल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्ता को आज दिनांक 08.09.2023 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

सजायाफ्ता अभियुक्ता-

1. **शशि पुत्री विजय सिंह निवासी सती मौहल्ला थाना कोतवाली जनपद इटावा।**